

धीषक,

सचिव,

प्राथमिक शिक्षा परिषद,
जलन्त प्रदेश जखनपूर।

बीचा में,

अध्यक्ष/सचिव

दीनबन्धु कॉलेज ऑफ फार्मेसी, ग्राम तेनुआ पो0-मझौवावीर, बस्ती। सोसायटी/ट्रस्ट - दीनबन्धु शिक्षा प्रसार समिति, ग्राम सन्तपुर, पुरानी बस्ती, बस्ती।

पत्रांक-प्राथम/परिषद/2022/5646

तारखतक/दिनांक- 14-7-2022

विषय- राज 2022-23 हेतु संस्थान को अनापत्ति पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इम्प्लिमेंट (बी०सी०आई०) के पत्रांक 14-56/2022 (Approval Process for 2022-23 as)/11021-23 दिनांक 21-6-2022 एवं मा० उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 21-6-2022 को संदर्भित करने का कष्ट करें, जिसके अनुक्रम में राज 2022-23 हेतु इम्प्लिमेंट इन फार्मेसी कार्यक्रम संचालित किये जाने हेतु आप द्वारा सहमति/अनापत्ति निर्गत किये जाने के संबंध में अनुरोध किया गया है।

सूच्य है कि प्राथमिक शिक्षा परिषद, जलन्त प्रदेश जखनपूर डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को सम्बद्धता प्रदान करता है, एवं इस हेतु अधिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/बी०सी०आई०, नई दिल्ली के प्रसंगत संस्थान एवं कार्यक्रम के अनुमोदन-नीमर्त ही संस्थान की सम्बद्धता पर विचार करता है।

मा० उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 21-6-2022 एवं बी०सी०आई०, नई दिल्ली के द्वारा पत्र संदर्भ संख्या 14-56/2022 (Approval Process for 2022-23 as)/11021-23 में किये गये निर्देशों के अनुक्रम में राज्य स्तरीय समिति द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर संस्था को सहमति/अनापत्ति पत्र मा० उच्चतम न्यायालय में भेजित एस०एल०पी० नं० 4028/2022 में पारित अंतिम निर्णय के प्रतिबंध के साथ प्रदान की जा रही है कि संख्या द्वारा राज 2022-23 हेतु फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इम्प्लिमेंट, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त अनुमोदन पत्र, राज 2022-23 हेतु परिषद द्वारा आदृत सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार की वेबसाइट पर प्राप्त कराया जाना अनिवार्य होगा। उपरोक्त अवधि तक यदि संस्था द्वारा अनुमोदन पत्र परिषद कार्यालय में प्राप्त नहीं कराया गया तो ऐसी स्थिति में संस्था को राज 2022-23 हेतु परिषद की सम्बद्धता प्रदान करने पर विचार नहीं किया जाएगा।

उपरोक्तानुसार निर्गत सहमति पत्र अतीवगतमक है, और उपरोक्तानुसार भेजित शर्तों को पूर्ण किये जाने पर ही मान्य होगा। साथ ही शक्य पत्र में ही नई जानकारी तथा बी०सी०आई० एवं परिषद द्वारा निर्धारित शर्तों/मानकों के अनुसार संस्था का स्तरीय निरीक्षण एवं अभिलेखीय सत्यापन एक माह के अंदर पूर्णकियत किया जाएगा। अभिलेखों के सत्यापन की पुष्टि न होने तथा स्तरीय निरीक्षण में मानकों/शर्तों को पूर्ण न किये जाने पर अनापत्ति अथवा प्रभाव से विरस्त की जाएगी।

भवदीय,

(सुनील कुमार सोनकर)
सचिव

पु०सं०- प्राथम/परिषद/2022/5646-47

तार/दिनांक- 14-7-2022

प्रतिनिधि- निम्नलिखित को सूचनाएं एवं कार्यवाही हेतु भेजित-

1. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, ज०प०, जखनपूर।
2. सचिवद्वारा-राम-रोहोदरी, फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इम्प्लिमेंट, जम्बाइन्ड काउन्सिल विडिडिंग, टेम्पल रोड, कोदरग रोड, एमान-ए-मालिक मार्ग, नई दिल्ली- 110 002

(सुनील कुमार सोनकर)
सचिव